राज्य परियोजना निदेशालय (उ0प्र0)
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)
(National Higher Education Mission)

Phone No: 0522- 2438188 Email: spdrusaup@gmail.com

पत्रांक : /SPD/RUSA / / /2015–16 दिनांक : 16.12-2015

कार्यालय–आदेश

शासनादेश सं0–4/2015/2008/सत्तर–3–2015–7(73)/2013 टी0सी0–।। दिनांक 05 नवम्बर, 2015 द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्राविधानित धनराशि रू0– 37,50,000/–(सैतीस लाख पचास हजार मात्र) (केन्द्रांश की धनराशि 65 प्रतिशत तथा राज्यांश की धनराशि 35 प्रतिशत) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान हुई है उक्त धनराशि सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को इस हेतु खोले गये खाते में इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। विश्वविद्यालयों का विवरण निम्नवत् है–

क्रम	विश्वविद्यालय का नाम	कुल स्वीकृत धनराशि (रूपये में) (केन्द्रांश 65% + राज्यांश 35 %)
1	डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।	1875000
2	डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।	1875000
	योग–	3750000

उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:–

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) हेतु भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों एवं मानकों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त निर्धारित कार्यो के लिए किया जायेगा।

(2) उक्त धनराशि का व्यय सम्बन्धित संस्था के लिए उनके द्वारा भेजे गए तथा स्वीकृत/अनुमोदित स्टेट हायर एजुकेशन प्लान (SHEP) के अनुरूप किया जाएगा। उक्त धनराशि का व्यय उन्ही मदों के अन्तर्गत किया जायेगा जिनके लिए धनराशि प्राविधानित है एवं जिनकी मांग की गयी है, अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) भारत सरकार के मानकानुसार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना त्रैमासिक आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) अगली वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के पूर्व, पूर्व में जारी की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा कराये जाने वाले कार्यो की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग, योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) विश्वविद्यालयों स्तर के निर्माण कार्यो हेतु कार्यदायी संस्था नामित करने हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति को अधिकृत किया जाता है।

2– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्यय के अनुदान सं0–81 के अधीन **लेखाशीर्षक–"4202– शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय– आयोजनागत –01 – सामान्य शिक्षा – 796 – जनजातीय उपयोजना–01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं–0106–राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराया जाना (के.65/रा.35–के.+रा.)–24–वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।**

भवदीय

(पी0के0 पाण्डेय)
निदेशक, रूसा

पत्रांक : 677-83/SPD/RUSA /8/15/ /2015–16 तद्दिनांक। :
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. वित्त नियत्रंक, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
5. कुलसचिव, सम्बन्धित राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
6. डॉ0 आर0पी0एस0 यादव, आहरण वितरण अधिकारी/उपनिदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, लखनऊ।
7. अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग–03, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

(पी0के0 पाण्डेय)
निदेशक, रूसा